संख्या-45/2021/1035/22-2-2020-17(151)/2020

प्रेषकए

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मेंए

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2021***

विषय:-केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक कुमार मिश्रा पुत्र श्री सभाजीत मिश्रा, निवासी जनपद-सुल्तानपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27411/प्रोबे-5-दया0 बैठक-28-09-2020 दिनांक 02-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागारए नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक कुमार मिश्रा पुत्र श्री सभाजीत मिश्रा, जो-रामगढ़, थाना-लम्भुआ, जनपद-सुल्तानपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 02.07.2003 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा व पिस्टल से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-296/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-01, सुल्तानपुर के आदेश दिनांक 21.10.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के आदेश दिनांक 01.02.2013 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2020 तक 15 वर्ष, 06 माह, 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 05 माह, 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, जो व्यक्ति विशेष तक सीमित न रह कर आम जनमानस पर भी प्रभाव डालने, पुन: अपराध होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जा सकने **के** दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी अशोक कुमार मिश्रा पुत्र श्री सभाजीत मिश्रा द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी अशोक कुमार मिश्रा (बन्दी संख्या-1614/2014) पुत्र श्री सभाजीत मिश्रा, निवासी जनपद-सुल्तानपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-45/2021/1035(1)/22-2-2020 तददिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर।
2-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in